भवन समन्वय समिति
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की

सं0 सी0सी0बी0/ 499 / पी–11 (चिकन एवं मछली) दिनांकः मार्च 10, 2025

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों (आजाद, सरोजिनी, विज्ञान भवन) में दिनॉक 01.04.2025 से 31.05.2025 तक के लिए ताजा चिकन एवं मछली कटा हुआ एवं साफ किया हुआ की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र।

ठेकेदार का नाम व पता : मै0______________________________

____

निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि : दि0 20.03.2025 (गुरुवार) को सांय 3–00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि व समय : दि0 20.03.2025 (गुरुवार) को सांय 3–30 बजे

निविदा जमा करने का स्थान : सी0सी0बी0 कार्यालय, मेन बिल्डिंग, आई0आई0टी0 रूड़की ।
निविदा खुलने का स्थान : सरोजिनी भवन मैस, आई0आई0टी0 रूड़की ।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	दर अंकों में
1.	ताजा चिकन कटा हुआ एवं साफ किया हुआ (बिना पोटा, कलेची व चर्बी)	**1650** किलो	रू0 ________ प्रति किलो
2.	ताजी मछली (रोहू) साफ की हुई एवं कटी हुई	**740** किलो	रू0 ________ प्रति किलो
3.	ताजी मछली (बेकर) साफ की हुई एवं कटी हुई	**640** किलो	रू0 ________ प्रति किलो
4.	ताजी मछली (एक काटे वाली) साफ की हुई एवं कटी हुई	**840** किलो	रू0 ________ प्रति किलो

नोटः–

1. भुगतान हेतू पक्का बिल ही मान्य होगा तथा भुगतान केवल फर्म (मै0) के नाम से ही होगा।
2. निविदा के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ कसाई खाना **(Slaughterhouse)** लाइसेंस धारक के साथ सप्लाई अनुबन्ध तथा **FSSAI** लाइसेंस संलग्न करें।
3. निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रतिलिपि संलग्न करें।
4. नये आपूर्तिकर्ताओं को खरीद आदेश **(PO)** प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर सी.सी.बी. कार्यालय में धरोहर राशि जमा कराना तथा पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं।

नियम व शर्ते :–

1. सभी निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के नाम होनी चाहिए। खुला निविदा प्रपत्र स्वीकार नही किया जाएगा।
2. केन्द्रीय क्रय अधिकारी/अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति को यह अधिकार सुरक्षित है कि निविदा का कोई अंश अथवा समस्त भाग निरस्त कर सकते हैं। उसके लिये कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है।
3. उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।
4. टेण्डर में कटिंग व ओवर राइटिंग न करें, कटिंग होने पर दोबारा साफ – साफ लिख कर अपने हस्ताक्षर करें अन्यथा टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है ।
5. ठेका एक से अधिक ठेकेदारों को दिया जा सकता है।
6. दरें 01/04/2025 से 31/05/2025 के लिए मान्य होंगी।
7. ठेका बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है ।
8. ठेका स्वीकृत होने पर रू0 10000/– धरोहर राशि के रूप में सी0सी0बी0 कार्यालय में तुरन्त जमा कराने होंगे।
9. आपूर्ति न कर पाने की दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है तथा अन्य जुर्माना भी किया जा सकता है।
10. चिकन एवं मछली की दरें संस्थान की मैसों तक पहुंचाने व सभी करों सहित होनी चाहिए।
11. निविदा में दी गई चिकन एवं मछली की मात्रा अनुमानित है तथा यह मात्रा 25% तक घट या बढ सकती है ।
12. चिकन एवं मछली का ठेका सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों को मान्य होगा।
13. ठेकेदार को चिकन एवं मछली की आपूर्ति सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों में उनकी आवश्यकतानुसार करनी होगी ।
14. बिल का भुगतान सम्बन्धित मैसों द्वारा ही किया जायेगा। भुगतान हेतु बिल सामान के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
15. दरें स्वीकृत होने पर भी सम्बन्धित मुख्य संरक्षक बाजार से चिकन एवं मछली खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
16. अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा।
17. सप्लायर द्वारा निविदा में दी गई दरों को स्वीकृत किए जाने पर 01/04/2025 से 31/05/2025 के मध्य दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा।
18. संस्थान की मैसों में आपूर्ति करने हेतु आने–जाने के लिए संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा तथा प्रवेश हेतु पास बनवाने की प्रक्रिया सप्लायर द्वारा किया जाना होगा।

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

D. Bharat
केन्द्रीय क्रय अधिकारी,
भवन समन्वय समिति

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

दिनांक..............................